GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 198
TO BE ANSWERED ON 21.12.2023

Plantation, protection and promotion of trees on waste and barren land

*198. SHRI VIJAY PAL SINGH TOMAR:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for plantation, protection and promotion of trees on the waste and barren land at various locations in the country;
(b) the details of plan of Government for conducting continuous study for the survey, research and development of forests through the Research Institute of the Forest Department, Forest Corporation, Forest Survey of India, etc.; and
(c) the details of the steps taken by Government to ensure the participation of the local people in the conservation and upkeep of the forests and to meet their needs and aspirations associated with the forestry, State-wise?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c) : A statement is laid on the table of the House

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARA (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 198 DUE FOR REPLY ON 21.12.2023 REGARDING PLANTATION, PROTECTION AND PROMOTION OF TREES ON WASTE AND BARREN LAND RAISED BY SHRI VIJAY PAL SINGH TOMAR, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT

(a) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change encourages plantation in the country through various programs/schemes such as National Mission for Green India (GIM), National Afforestation Programme (NAP), Nagar Van Yojana, School Nursery Yojana, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) funds, etc. which promotes tree plantation on waste, vacant and barren lands by involving local communities, local bodies NGOS, educational institutions, etc.

(b) National Forest Policy (NFP) 1988, emphasizes scientific forestry research, necessitating adequate strengthening of the research base as well as new priorities for action with increasing recognition of the importance of forests for environmental health, energy and employment. Many research institutes/organizations under the aegis of the Ministry like Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), India Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Forest Survey of India (FSI), Botanical Survey of India, Zoological Survey of India, Wildlife Institute of India, etc. have been involved continuously in undertaking survey of forest resources and research studies relating to development of forestry sector.

Further, studies and researches are also being undertaken by many other agencies of the centre and state governments, including forest departments, forest corporations, remote sensing centers/agencies etc., the findings/outcomes of which are also supplementing need based development of forests.

(c) In consonance with the National Forest Policy 1988, the local communities are involved through Joint Forest Management Committees (JFMCs) as organ of the Gram Panchayats in the management of forests and various afforestation activities. Various schemes including Green India Mission and National Afforestation Programme are being implemented by the Ministry and the State/UT governments with the participation of these committees. Further, for the management of the Wildlife Protected Areas, Eco Development Committees (EDCs) are also formed to ensure people participation in wildlife conservation.

*****

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *198
21.12.2023 को उत्तर के लिए

बेकार एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन

***198. श्री विजय पाल सिंह तोमर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर बेकार और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने, वृक्षों का संरक्षण करने और उनका संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वन विभाग के अनुसंधान संस्थान, वन निगम, भारतीय वन सर्वेक्षण आदि के माध्यम से वनों के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर अध्ययन करने के संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनों के संरक्षण और रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और वानिकी से जुड़ी उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'बेकार एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन' के संबंध में श्री विजय पाल सिंह तोमर, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 198 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) निधियों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षिक संस्थानों आदि को शामिल करके परती, खाली पड़ी और बंजर भूमियों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जता है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी) 1988 में पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार हेतु वनों के महत्व की बढ़ती मान्यता सहित अनुसंधान आधार को यथेष्ट रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ कार्य-योजना हेतु नई प्राथमिकताएं निर्धारित करने को आवश्यक बनाते हुए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के तत्वावधान में, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (इपिर्टि), भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान आदि जैसे कई अनुसंधान संस्थान/संगठन सतत रूप से वन संसाधनों के सर्वेक्षण तथा वानिकी क्षेत्र के विकास से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों के कार्य में शामिल रहे हैं।

इसके अलावा, वन विभागों, वन निगमों, दूर संवेदी केन्द्रों/एजेंसियों आदि सहित केन्द्र और राज्य सरकारों की कई अन्य एजेंसियों द्वारा भी अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्ष/परिणाम भी वनों के आवश्यकता आधारित विकास कार्य को संपूरित करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप, स्थानीय समुदाय ग्राम पंचायतों के अंग के रूप में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वनों के प्रबंधन और विभिन्न वनीकरण कार्यकलापों में शामिल हैं। इन समुदायों की सहभागिता से मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु, वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पारि-विकास समितियां (ईडीसी) भी गठित की गई हैं।

*****

श्री विजय पाल सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, यूँ तो रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ है और उत्तर प्रदेश इसमें काफी अग्रणी रहा है। जो पुराने वृक्ष थे, जैसे बड़े बरगद का वृक्ष है, नीम का है, जामुन का है, शीशम का है, साल का है, देवदार का है, लेकिन आज वृक्षारोपण के नाम पर छोटी गैर-सरकारी संस्थाएं ऐसे वृक्ष लगाती हैं, जो छोटे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहूँगा कि जो खाली पड़ी जमीनें हैं, चाहे वह परती जमीन है, बंजर जमीन है या कोई और खाली पड़ी जमीन है, इन पर जो वृक्षारोपण हुआ है, वह अभी तक कितनी भूमि पर हुआ है और शेष लक्ष्य क्या है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दो विषय उठाए गए हैं। पहला उनका यह कहना है कि अभी जो परंपरागत रूप से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु के अनुकूल पेड़ हैं, उनके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्पीशीज़ लगाई जा रही हैं, जिनकी जमीन से कोई वास्तविकता नहीं है। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण के लिए इस समय देश भर में जो एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, उनमें National Mission for Green India, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के अंतर्गत है, तीसरा Integrated Development of Wildlife Habitats और चौथा Externally Aided Projects के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अब हर जिले में जो वहां की स्थानीय स्पीशीज़ हैं, जो वहां की नेटिव स्पीशीज़ हैं और वहां के वातावरण के अनुकूल हैं, उनकी पूरी एक directory भी तैयार की गई है। इसके अलावा इसको संवर्धित करने के लिए, ताकि लोकल लोग इसका प्रयोग करें, हमने नर्सरी को भी विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए अब उन स्पीशीज़ पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो हमारी परंपरागत और नेटिव स्पीशीज़ हैं।

दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि के संबंध में एग्जेक्ट संख्या मांगी है। वह मैं उनको पत्र के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा।

श्री विजय पाल सिंह तोमरः आमतौर पर देखने में आया है कि नहर, नदी या सिंचाई विभाग के नालों के किनारे पहले बहुत वृक्ष थे, बड़े वृक्ष थे, अब वे काट दिए गए हैं - वैसे तो वे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जाते हैं - लेकिन इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वन विभाग द्वारा इनके किनारों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के द्वारा वन विभाग के क्षेत्र में आने वाली भूमि पर ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अभी जैसे मैंने अपने पूर्व के एक उत्तर में यह बताया था कि हमने अभी COP28 में जो Green Climate Action Programme शुरू किया है, ऐसे वन क्षेत्र जो degrade हो गए हैं, fragmented हो गए हैं, वहां पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने एक ग्रीन फंड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र एक तरह से सेवा कार्य के अंतर्गत वहां पर वृक्षारोपण कर सकता है। देश में वृक्षरोपण को बढ़ावा मिले, इसके लिए वन मंत्रालय के साथ-साथ जो Horticulture Department है, उनका Mission for Integrated Development, Submission on Agro-Forestry और अभी हमारी सरकार के द्वारा पहले जो

एक कानून लाया गया था, जो Bamboo की खेती है, उसको हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला था - तो National Bamboo Mission, इसके अतिरिक्त मनरेगा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और नदियों के किनारे, विशेष रूप से नमामि गंगे स्कीम और फिर State-specific जो plantation scheme है, उसके साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा भी सड़क या बाकी ट्रैक्स के किनारे वृक्षों को लगाने का कार्य किया जाता है। इसको हम एक बड़े प्रोजेक्ट के नाते coordinate करने का कार्य करते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि माननीय सदस्यगण एक साल में वृक्षारोपण में कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं। मैं देश में जहां भी जाता हूं, यह मेरी प्राथमिकता रही है। I had indicated to the hon. Members that their performance will be reflected both in the House and on Sansad TV. I hope you take note of it again, and let us have the right performance. I had indicated to the hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan, to make available to all Members our Vedas because most of us have not seen it. He has done it. I congratulate him, but I expect the hon. Members, they would set an example by engaging in plantations at a massive scale. Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, to fight against air pollution, tea plantation is one of the best ways. In tea plantations, Assam has created history. On 17th September, 2023, on the auspicious occasion of birthday of hon. Prime Minister, under the leadership of Chief Minister of Assam, more than 100 crore tea plantations was done in Assam.

MR. CHAIRMAN: Your supplementary. ..*(Interruptions)*..

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Not only this, more than 48 lakh people participated in tea plantation in Assam on the occasion of the birthday of hon. Prime Minister. I want to know from the hon. Minister that this being a very good initiative taken by the State Government, especially on the 17th September, 2nd October, birthday of Mahatma Gandhi... ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Your supplementary. ..*(Interruptions)*..

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Is your Ministry planning to subsidise it or make any allocation to the State Government for this type of noble projects? ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. ..*(Interruptions)*..

श्री राजीव शुक्लाः सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः राजीव जी, मैं आपको कह दूँ कि लीडर ऑफ दि हाउस ने जब कहा कि आप निकाले जाओगे, उसमें इनका संदर्भ संसद से नहीं था, इस हाउस से नहीं था। ये संकेत कहीं और दे रहे थे, आपको सचेत कर रहे थे।

श्री राजीव शुक्लाः सर, आप हमें सस्पेंड कर दीजिए।

एक माननीय सदस्यः नहीं, नहीं, आप एक माननीय सदस्य हैं।

श्री सभापतिः "बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न", आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।

श्री राजीव शुक्लाः सर, मैं यह कह रहा हूँ ...

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर। ...(**व्यवधान**)... ऑनरेबल मिनिस्टर। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्लाः सर, मैं वॉक आउट कर रहा हूँ।

(इस समय, माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, Rajeev. ..*(Interruptions)*.. ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपने वृक्षारोपण के प्रति जो संवेदना दिखाई, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय सदस्य ने भी असम सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से वृक्षारोपण अभियान का उल्लेख किया है, वह भी निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। लेकिन माननीय सदस्य का एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि इसके द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 100 परसेंट सेंट्रली-स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो 2014-15 से शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सेंटर-स्टेट का रेशियो 60:40 रहता है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट और विशेष रूप से जो तीन हिमालयन स्टेट्स हैं - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड, उनके लिए इसका अनुपात 90:10 रहता है। इसके अतिरिक्त, देश भर में शहरी क्षेत्रों में, चूँकि माननीय सदस्य ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, केन्द्र सरकार के द्वारा 'नगर वन योजना' संचालित की जाती है, जिसको स्पॉन्सर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैम्पा फंड भी है, वह इसमें एलोकेट किया जाता है। इसके साथ ही, इसके अंतर्गत एक 20-टारगेट प्रोग्राम भी किया जाता है, जिससे हम एफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पेड़ों को लगाने की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं।

श्री सभापतिः श्री अनिल बलूनी।

श्री अनिल बलूनीः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कुछ स्थानों पर चीड़ का वृक्षारोपण किया जा रहा है और क्या चीड़ को हटा कर किसी अन्य प्रजाति के पेड़ों को लगाने की योजना है?

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, जहाँ पर भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम है, यह स्टेट-स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्राम है। सभी प्रजातियाँ एक ही तरह के जलवायु क्षेत्रों में सभी जगह नहीं पाई जाती हैं। बीच-बीच में वन विभाग के द्वारा जिस प्रकार का अध्ययन किया गया है, उसमें हमें कई पेड़ों के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। इसलिए यह स्टेट-स्पेसिफिक और एरिया-स्पेसिफिक है। अगर माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी एरिया-स्पेसिफिक विषय पर प्रश्न पूछेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उनके विषय का समाधान करूँगा।

श्री सभापतिः ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)

ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)ः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से certain concerns about tree-felling के बारे में कहना चाहता हूँ। जब नेशनल हाईवेज़ बनाए जाते हैं, तो सर्टेनली, बड़, पीपल, नीम और शीशम के पेड़ काटे जाते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एफॉरेस्टेशन का बड़ा एफर्ट है, मगर उस एफर्ट में खास कर बड़, पीपल के पेड़ को जानवर रोज बड़े चाव से खाते हैं। वन विभाग द्वारा लगाए गए जो ट्री गार्ड्स हैं, उनकी हाइट 5 फीट या 6 फीट है, जबकि जानवर रोज जंप करके उनको खाने के लिए 7 फीट तक चले जाते हैं और पेड़ बढ़ते नहीं हैं। यानी survival of the planted trees is my concern and the second thing is शीशम में 5 साल के बाद जो bunt आ जाता है, फंगस आ जाता है और बड़े-बड़े पेड़ सूख जाते हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं या पेड़ों के संवर्धन और संरक्षण करने की बात करते हैं, तो हम सभी प्रकार के पेड़ों का संरक्षण करने की बात करते हैं। जब इन सब प्रकार के पेड़ों का संरक्षण करने की बात करते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में कुछ स्पीशिज़ या पेड़ ऐसे भी हैं, जो एंडेंजर्ड किस्म के हैं, उनको बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से जो रिजर्व एरियाज़ हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंक्चुरीज़ हैं और उनके साथ-साथ जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, वहाँ पर हम इनके पूरे प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। इसके लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण को बचाने में लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए भी हमारा

मंत्रालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि हम केवल वन संरक्षण ही नहीं करना चाहते, बल्कि हम देश में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको हम फार्म फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, उसमें भविष्य में किसानों को आय भी हो सके, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय पूरे तरीके से कार्य कर रहा है और उसने पॉलिसी भी इश्यू की है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 199. Dr. K. Laxman.